MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 2.00 p.m.

[Answers to Starred and Unstarred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part-I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise]

The House then adjourned at fourteen minutes past twelve of the clock.

The House reassembled at two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair

GOVERNMENT BILL

The Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2021

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Statutory Resolution and the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2021, to be taken together. Shri K.K. Ragesh, Shri Binoy Viswam and Shri Shaktisinh Gohil to move the Statutory Resolution disapproving the Arbitration and Conciliation (Amendment) Ordinance, 2020. Shri K.K. Ragesh, not present; Shri Binoy Viswam, not present; Shri Shaktisinh Gohil, not present.

Shri Ravi Shankar Prasad to move the motion for consideration and passing of the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2021.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE; THE MINISTER OF COMMUNICATIONS; AND THE MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Leader of the Opposition.

विपक्ष के नेता (श्री मिल्लकार्जुन खरगे) : सर, आपको मनाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। यह समस्या इतनी बड़ी है कि देश के सारे लोगों पर इसका effect पड़ा है।

श्री उपसभापति : माननीय एलओपी, एक मिनट। ...(व्यवधान)...

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: पेट्रोल, डीज़ल, एलपीजी, केरोसीन, इन सारी चीज़ों की जो कीमतें बढ़ी हैं, उससे जनता तंग आ चुकी है। ...(व्यवधान).. इसके साथ ही साथ, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ी हैं। सर, डीज़ल, पेट्रोल, एलपीजी तथा केरोसीन जैसी चीज़ें गरीबों के लिए ही पीडीएस में डिस्ट्रिब्यूट की जाती हैं और अब जबिक ऐसी आवश्यक वस्तुएँ भी हमको नहीं मिल पा रही हैं, तो हम इस पर ही चर्चा करना चाहते हैं। सर, आप सोशल बैकग्राउंड से आए हैं, आप समाजवादी नेता हैं और जब हम गरीबों की बात करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा इधर ही देखना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापित : माननीय एलओपी, आप मुझे आग्रह करने का एक मिनट का समय दें। ...(व्यवधान)... आप मुझे एक मिनट निवेदन करने का समय दें। ...(व्यवधान)... आप जानते हैं कि ऑनरेबल चेयरमैन की prior permission के बगैर नियम 267 के अंतर्गत डिस्कशन नहीं हो सकता, फिर भी उन्होंने कल भी मौका दिया और आज आप जब भी खड़े हुए, मैंने आपको बोलने दिया, जबिक उस पर डिस्कशन नहीं हो सकता। उन्होंने कल भी कहा था और यह स्पष्ट किया था कि Finance Bill, Statutory Resolution तथा मिनिस्ट्रीज़ पर बहस के बहुत सारे अवसर आ रहे हैं, उसमें आप सब चीज़ें बोलें। अलग से कई दलों के लोगों ने यह नोटिस दिया है कि इस पर Calling Attention या other provisions के अंतर्गत भी डिस्कशन हो, तो वह consideration में है और माननीय सदस्य जैसा तय करेंगे, उस पर माननीय चेयरमैन निर्णय करेंगे। आप जानते हैं कि माननीय चेयरमैन के निर्णय को मैं reopen नहीं कर सकता, यह मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है। माननीय एलओपी तो सरकार में लम्बे समय से रहे हैं, वे जानते हैं कि Statutory Resolution Ordinance replacing Bill है और दो दिन, 11 तथा 12 तारीख को सदन की छुट्टी है। चूंकि यह ऑर्डिनेंस 12 तारीख को खत्म हो रहा है, इसलिए इसका महत्व भी आप जानते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि kindly cooperate, तािक हम लोग यह काम कर लें। जैसा आपने कहा, तो माननीय चेयरमैन साहब को मैं आपकी भावना से पुनः अवगत कराऊँगा।

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: सर, हम किसी बिल को पास होने से नहीं रोक रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जनता के जो कष्ट हैं, जनता की जो तकलीफात् हैं, उन पर यहाँ चर्चा हो, फिर सबकी बात सुनने के बाद गवर्नमेंट निर्णय ले। मैं समझता हूँ कि जो प्राइसेज़ बढ़े हैं, उनको सरकार पूरी तरह से वापस लेगी और वर्ष 2013-14 में जो प्राइसेज़ थे, कम से कम वहाँ तक उनको लाएगी। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मैंने आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का समय दिया। माननीय एलओपी, मैं आपकी भावना पुन: चेयरमैन साहब को convey करूँगा। ...(व्यवधान)...

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: सर, कोविड का effect ...(व्यवधान)...unemployment, high prices, इन सब पर चर्चा होनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : चेयरमैन साहब ने कल ही कहा कि ये सब मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। आपको समय मिलने वाला है। ...(व्यवधान)... Statutory Resolution, Finance Bill आदि पर अलग-अलग बहस के अवसर हैं, तब आपको समय मिलेगा। ...(व्यवधान)... इस पर अलग-अलग नोटिसेज़ भी आए हुए हैं, उस पर तय होगा। ...(व्यवधान)... Kindly इस पर बोलने की इजाज़त दें। ...(व्यवधान)...

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: सर, वे दोनों विषय अलग-अलग हैं। ...(व्यवधान)...जब बिल पर बहस होगी, तब उस वक्त बात करेंगे। ...(व्यवधान)... लेकिन यह सबके हित में है। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Statutory Resolution and the Motion for consideration of the Bill are ...(Interruptions).. Shri Vivek K. Tankha, please speak...(Interruptions)..

SHRI VIVEK K. TANKHA (Madhya Pradesh): Sir, the LoP is standing. ..(Interruptions)..

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: सर, आपको भी डीज़ल और पेट्रोल के दामों से effect पड़ेगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. LoP, please cooperate. ..(Interruptions).. आप जानते हैं, आपने सरकार चलायी है, आप इस बिल के महत्व के बारे में जानते हैं। Kindly cooperate.

श्री मल्लिकार्जुन खरगेः सर, ऐसा नहीं होगा। आपकी कृपा से ही सदन चलता है।

श्री उपसभापति : आप सबके सहयोग से सदन चलता है।

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: सर, चेयरमैन साहब ने कल जो निर्णय दिया, वह कल का निर्णय है। हमने आज नए नोटिस दिए हैं और आज के लिए आप सर्वोपरि हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मैंने स्पष्ट किया है कि आज का निर्णय हमने आपको बताया है। ...(व्यवधान)... मैंने आपको उनका निर्णय ऑलरेडी बता दिया है, उसको reopen नहीं कर सकते हैं। माननीय विवेक के. तन्खा जी ...(व्यवधान)...

SHRI VIVEK K. TANKHA: Sir, the hon. LoP is speaking. ..(Interruptions)...

श्री मिल्लकार्जून खरगे: सर, आज के लिए जो निर्णय देना है, वह आपको देना है।

श्री उपसभापति : अन्य कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। माननीय विवेक के. तन्खा जी ...(व्यवधान)...

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: सर, ऐसे नहीं होगा। महोदय, इसका जवाब नहीं आया है। इस पर चर्चा होनी चाहिए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री रिव शंकर प्रसाद: महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डिनेंस है, इसका पास होना बहुत ज़रूरी है। ...(व्यवधान)... मैं आपके माध्यम से माननीय नेता विरोधी दल से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम आज इसे पारित करवाएं, इस पर बहस करवाएं और मैं माननीय विवेक के. तन्खा जी से आग्रह करूंगा ...(व्यवधान)... इसीलिए मैंने अपनी आरम्भिक टिप्पणी भी नहीं की है। मैं आप सबका उत्तर अंत में दूंगा, लेकिन आप आरम्भ ज़रूर करें, यह मेरा आग्रह है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : कृपया आपस में बात न करें और माननीय विवेक के. तन्खा जी को बोलने दें। ...(व्यवधान)...

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: महोदय, उसके बारे में दूसरे मेम्बर्स बोलेंगे, लेकिन जो रूल 267 है ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय एलओपी साहब, मैं इसके बारे में कह चुका हूं। आप जानते हैं कि मैं इस पर इजाज़त नहीं दे सकता। ...(व्यवधान)...

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: सर, अगर इजाज़त नहीं दे सकते हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : श्री सुरेश प्रभु जी। ...(व्यवधान)...

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: महोदय, अगर इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : श्री सुरेश प्रभु जी। ...(व्यवधान)... माननीय विवेक के. तन्खा जी ...(व्यवधान)...

SHRI VIVEK K. TANKHA: Sir, the hon. LoP is standing. ..(Interruptions)...

श्री उपसभापति : पार्टी की ओर से आपका इस बिल पर बोलने के लिए मौका आरम्भ है।

SHRI VIVEK K. TANKHA: I know, Sir. But the hon. LoP is standing. ..(Interruptions)..

श्री उपसभापति : आप इस बिल के महत्व को जानते हैं। ...(व्यवधान)... यह Ordinance replacing Bill है। ...(व्यवधान)... आप इसके महत्व को जानते हैं। ...(व्यवधान)... अन्य कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(व्यवधान)... वैल में आए हुए सदस्यों से मेरा आग्रह है कि वे अपनी सीट पर जाएं और जो माननीय सदस्य खड़े हैं, वे बैठ जाएं। ...(व्यवधान)... मेरा आप सबसे आग्रह है ...(व्यवधान)... वैल में खड़े सभी सदस्यों से मेरा आग्रह है कि अपनी-अपनी जगह पर जाकर बैठें।...(व्यवधान)... और इस बिल के महत्व को देखते हुए सदन की कार्यवाही चलने दें। ...(व्यवधान)... कृपया अपनी-अपनी सीट पर जाएं। ...(व्यवधान)... प्लीज़ अपनी सीट पर जाएं। ...(व्यवधान)... प्लीज़ अपनी सीट पर जाएं। सदन को चलने दें, मैंने इस बिल के महत्व को बताया है। ...(व्यवधान)... प्लीज़ सदन की कार्यवाही को चलने दें। ...(व्यवधान)... माननीय एलओपी, आप इस बिल के महत्व को जानते हैं। ...(व्यवधान)... माननीय महेश पोद्दार जी। ...(व्यवधान)...

श्री महेश पोद्दार (झारखंड): उपसभापित महोदय, आज मैं सदन में जो नज़ारा देख रहा हूं ...(व्यवधान)... वर्ष 2016 में मैं इस सदन में पहली बार आया था, उस समय भी मैंने ऐसा नज़ारा देखा था। ...(व्यवधान)... आज Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill है। उस समय जो बिल था, वह Enemy Property (Amendment and Validation) Act, 2017 था। उस समय भी कुछ इस तरह का शोर हो रहा था ...(व्यवधान)... और मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह शोर क्यों हो रहा है, चूंकि उस बिल की भावना जो थी ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): सदन की यह परम्परा है कि जब तक कोई विषय सदन के सामने है और उसका समाधान न निकला हो, तब तक कोई भी सरकारी कार्यवाही या बिल नहीं लिया जा सकता है। इस सदन की यह परम्परा रही है, उसका बार-बार उल्लंघन हो रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है। विपक्ष का अधिकार है, इन विषयों को उठाने का...(व्यवधान)... यह हमारा अधिकार है। ...(व्यवधान)... इसको सुनना पड़ेगा। ...(व्यवधान)... हम जो कह रहे हैं ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Wednesday, the $10^{\rm th}$ March, 2021.

The House then adjourned at ten minutes past two of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 10th March, 2021